Shodh Sari-An International Multidisciplinary Journal

@2024 International Council for Education Research and Training
2024, Vol. 03, Issue 01, 267-274
ISSN: 2959-1376
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7670

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का विवेचनात्मक अध्ययन

A Critical Study of Provisions Related to School Education with Special Reference to National Education Policy 2020

कुमार, नरेश
असिस्टेंट प्रोफेसर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, वरुण मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली

सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) वह शिक्षा नीति है जिसका प्रमुख लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था एवं शैक्षिक प्रणाली की दिशा एवं दशा किस प्रकार की हो। यह नीति विभिन्न शैक्षिक आयामों एवं पक्षों के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के संदर्भ में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल देती है। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्वों से युक्त एक ऐसी शिक्षा नीति है जो देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्त्वों की जागरूकता उत्पन्न करने पर बल देती है जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो। इस शिक्षा नीति के अन्तर्गत कुछ ऐसे प्रावधान है; जैसे- शिक्षा से संबंधित समस्त स्तरों पर सभी के लिए एक-समान पहुँच सुनिश्चित करना, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान पर बल, बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति, नए पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा और समावेशी शिक्षा आदि जो इसे अपने आप में वर्तमान शैक्षिक एवं विद्यालयी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विद्यालयी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति, समावेशी शिक्षा, आकलन, व्यावसायिक विकास, सार्वजनिक जवाबदेही एवं निगरानी

प्रस्तावना-भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) वर्तमान समय कि वह प्रमुख नीति है जो वर्तमान शताब्दी तथा हमारे देश की उन्नति और विकास के संदर्भ में मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर विशेष बल देती है। वास्तव में इन नीति का प्रमुख लक्ष्य शिक्षा में गुणवत्ता एवं समानता को प्रोत्साहित करना तथा साथ ही सतत विकास को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। यह नीति इक्कीसवीं शताब्दी की जरूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 01, 267-274
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7670

को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाने पर बल देती है। यह नीति शिक्षा व्यवस्था के नियमन एवं गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों से संबंधित सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है । इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या-ज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ-साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए; बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति एवं छात्र का नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी विकास होना आवश्यक है।

इस शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है । बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा पर विशेष बल देते हुए स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना को लागू करने का प्रावधान किया है जो क्रमशः 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष, 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष, 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष और 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए होगी। इस संरचना में अभी तक दूर रखे गए 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा

1. फाउंडेशनल स्तर (Foundational Stage)	Anganwadi/ Pre-School/Balvatika	आयु 03-06 वर्ष	कुल अवधि 5 वर्ष
	कक्षा 1 से 2	आयु 06-08 वर्ष	
2. प्रिपरेटरी स्तर (Preparatory Stage)	कक्षा 3 से 5	आयु 08-11 वर्ष	कुल अवधि 3 वर्ष
3. मिडिल स्तर (Middle Stage)	कक्षा 6 से 8	आयु 11-14 वर्ष	कुल अवधि 3 वर्ष
4. सेकेंडरी स्तर (Secondary Stage)	कक्षा 9 से 12	आयु 14-18 वर्ष	कुल अवधि 4 वर्ष

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है । इसके अतिरिक्त इस नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत् सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। यह नीति यह स्पष्ट रूप से इंगित किया

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 01, 267-274
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7670

गया है कि- "रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे को जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषयवस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या-समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को देख पाएं, कुछ नया सोच पायें और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग ला पाएं। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी-केन्द्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने-समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रूचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के आलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, करूणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए।" - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ 3-4**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) की अंतर्दृष्टि (विज़न)

जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अंतर्दृष्टि का प्रश्न है तो इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वास्तव में यह नीति भारतीय विचारधारा एवं संवैधानिक मूल्यों तथा मौलिक दायित्त्वों से युक्त एक ऐसी शिक्षा नीति है जो न केवल शिक्षा से संबंधित है अपितु देश के साथ अपनापन अर्थात् जुड़ाव और परिवर्तित होते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देश के नागरिकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्त्वों के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करती है। इस नीति की अंतर्दृष्टि वास्तव में इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि हमारे छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में; बल्कि उनके व्यवहार, बुद्धि, कार्यों, कौशल, मूल्यों एवं सोच आदि में भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस नीति की अंतर्दृष्टि में स्थायी विकास, मानवाधिकार एवं वैश्विक कल्याण जैसे अनेक तत्त्व समाहित हैं जो भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति के रूप में बदलने अर्थात् परिवर्तित होने पर बल देती है। इस संदर्भ में इस नीति में यह उल्लेखित किया गया है कि- "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अंतर्दृष्टि (विज़न) भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देष के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति की अंतर्दृष्टि छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो,

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 01, 267-274
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7670

ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।" **-राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ-8**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की विवेचना निम्न आधारों पर की जा सकती है-

1. **विद्यालयी शिक्षा तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना-** इस नीति के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुँच के संदर्भ में सभी के लिए एक-समान पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। यह पहुँच विद्यालयी शिक्षा के विद्यालयपूर्व स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक सुनिश्चित की गई है । इस नीति में इस बात को भी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि विद्यालय छोड़ चुके बच्चों जिनकी संख्या लगभग दो करोड़ के आस-पास है, को फिर से मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा तथा इस संदर्भ में विद्यालय से संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा तथा साथ ही नए शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी । इसके अतिरिक्त इस नीति के संदर्भ में इस बात को भी उल्लेखित किया गया है कि बच्चों की औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में बहुत सी बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा साथ ही इस संदर्भ में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बच्चों के परामर्श के संदर्भ में विभिन्न परामर्शदाताओं को विद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा ।

2. **बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को महत्ता प्रदान करना-** इस नीति के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को महत्ता प्रदान की गई है । इसके अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता को उचित प्रकार से सीखने तथा इसको शिक्षा तथा अधिगम के संदर्भ में एक प्रमुख एवं प्राथमिक आवश्यकता मानते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy-NMFLN) की स्थापना किए जाने पर विशेष बल दिया है । इस अलावा इस नीति में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारों के द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने हेतु अथवा संदर्भ में इस मिशन के क्रियान्वयन से संबंधित योजना तैयार की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास के संदर्भ में एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी तैयार की जाएगी जो इस क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान देगी ।

3. **नए पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा-** इस नीति में नए पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर बल देते हुए विद्यालय पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे के स्थान पर अब वर्तमान समय में 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी जो क्रमशः 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष, 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष, 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष और 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए होगी । इसके अलावा इसके अन्तर्गत अभी तक दूर रखे गए 3 वर्ष से लेकर

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 01, 267-274
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7670

6 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। इस नई शिक्षा प्रणाली में तीन साल की आँगनवाड़ी एवं प्री-स्कूलिंग के साथ-साथ बारह साल की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

4. **बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति-** बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति वह शक्ति है जो न केवल बच्चों के अधिगम को सुगम बनाती है अपितु यह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को भी रोचक एवं प्रभावशाली बनाती है। इसी संदर्भ में इस शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि कम-से-कम कक्षा पाँच तक तथा अच्छा हो कि कक्षा आठ तक और यदि संभव हो तो उससे आगे भी मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखा जाए। इसके अतिरिक्त भाषा के संदर्भ में छात्रों को विद्यालय के सभी स्तरों पर तथा उच्च शिक्षा के संदर्भ में संस्कृत भाषा अथवा विषय को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा त्रि-भाषा फ़ॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। शिक्षा के माध्यम के रूप में अथवा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में किसी भी छात्र पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी एवं बच्चे के लिए भारत की अन्य पारम्परिक भाषाएं और साहित्य भी उसके लिए विकल्प के रूप में खुले अथवा उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही इस नीति में यह भी प्रस्तावित है कि छात्रों को "एक भारत श्रेष्ठ भारत" पहल के तहत कक्षा छः से लेकर कक्षा आठ तक के दौरान किसी भी समय भारत की भाषाओं पर आनंददायक गतिविधि अथवा परियोजना में भाग लेना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त के अलावा इस नीति में यह भी उल्लेखित किया गया है कि छात्रों के द्वारा कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा तथा साथ ही इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि भारतीय संकेत भाषा अर्थात् साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर छात्रों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अथवा संदर्भ में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी जिससे कि छात्रों को अधिगम के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो।

5. **विद्यालय के पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं नवीनता-** इस नीति के अन्तर्गत विद्यालय के पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं नवीनता का लक्ष्य यह होगा कि इक्कीसवीं शताब्दी के प्रमुख कौशलों एवं व्यावहारिक जानकारियों आदि के माध्यम से छात्रों का सम्पूर्ण विकास किया जाए तथा आवश्यक ज्ञान प्राप्ति और अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने देने एवं अनुभवनात्मक शिक्षण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के संदर्भ में पाठ्यक्रम को कम किया जाए। इस नीति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि छात्रों को अपने पसंद के विषय चुनने के संदर्भ में कई विकल्प दिए जाएंगे तथा साथ ही कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम एवं पाठ्योत्तर गतिविधियों के मध्य और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त अथवा कठोर रूप से कोई भिन्नता नहीं होगी और विद्यालयों में छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ हो जाएगी एवं इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। इसके अतिरिक्त इस नीति के अनुसार एक नई एवं व्यापक विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-2021 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित की जाएगी।

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 01, 267-274
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7670

6. समावेशी शिक्षा तथा अवसरों की उपलब्धता- समावेशी शिक्षा तथा अवसरों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य अथवा संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य अथवा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जन्म, पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों आदि के आधार पर कोई भी बच्चा ज्ञान प्राप्त करने तथा अधिगम से संबंधित उत्कृष्टता प्राप्त करने के संदर्भ में किसी भी प्रकार से अपने अधिकार के संदर्भ में अवसर से वंचित न रह जाए। इस नीति के तहत दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर एवं चरण अर्थात् बुनियादी चरण अथवा स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने हेतु सक्षम बनाया जाएगा तथा साथ ही समावेशी शिक्षा तथा अवसरों की उपलब्धता के संदर्भ में इस नीति में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण, सहायक उपकरण, आवास एवं प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, संसाधन केन्द्र और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा इस नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक राज्य अथवा जिले को कला-संबंधी, कैरियर संबंधी और खेलकूद संबंधी गतिविधियों एवं क्रियाकलापों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेने के संदर्भ में दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल में रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा साथ ही इस नीति में यह भी उल्लेखित किया गया है कि विद्यालय से संबंधित निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग "सामाजिक चेतना केन्द्रों" के रूप में किया जा सकता है।

7. **आकलन से संबंधित प्रक्रिया में सुधार करना-** इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन से संबंधित प्रक्रिया में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने पर बल दिया गया है अर्थात् उसकी परिकल्पना की गई है। इस नीति के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सभी विद्यार्थी कक्षा तीन, पाँच और आठ की विद्यालयी परिक्षाएं देंगे जो कि उपयुक्त प्राधिकरण के द्वारा संचालित की जाएगी तथा कक्षा दस और बारह के लिए बोर्ड की परीक्षाएं निरन्तर जारी रखी जाएगी। लेकिन साथ ही समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप एवं आधार प्रदान किया जाएगा तथा इस संदर्भ में एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र 'परख' (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

8. **अध्यापकों के चयन, पदोन्नति एवं व्यावसायिक विकास से संबंधित प्रावधान-** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापकों के चयन, पदोन्नति एवं व्यावसायिक विकास से संबंधित प्रावधान के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि अध्यापकों की भर्ती पारदर्शी एवं प्रभावकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाएगी एवं उनकी पदोन्नति योग्यता के आधार पर होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक जिसके लिए अथवा इस संदर्भ में राष्ट्रीय शैक्षिक (National Professional Standards for Teachers-NPST)

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 01, 267-274
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7670

वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किए जाएंगे एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श एवं सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।

9. **विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न मानकों का निर्धारण-** वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न मानकों के निर्धारण, नीति-निर्माण तथा अकादमिक मामलों के संदर्भ में एक सुस्पष्ट एवं अलग व्यवस्था अर्थात् प्रणाली की सिफारिश करती है। राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश स्वतन्त्र ''स्टेट स्कूल स्टैडर्ड्स अथॉरिटी'' (School State Standard Authority-SSSA) का गठन करेंगे तथा सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटन जैसा कि ''स्टेट स्कूल स्टैडर्ड्स अथॉरिटी'' द्वारा वर्णित है, का उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक जवाबदेही एवं निगरानी के लिए किया जाएगा तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श के माध्यम से एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना (State Quality Assessment and Accreditation Framework-SQAAF) का विकास किया जाएगा।

10. **विद्यालय के प्रशासन से संबंधित प्रावधान-** जहाँ तक विद्यालय के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का प्रश्न है। इस नीति के अनुसार विद्यालयों को परिसरों अथवा कलस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है जो प्रशासन गवर्नेंस की मूल इकाई होगा और बुनियादी तथा ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और प्रभावकारी व्यावसायिक शिक्षकों के समुदाय के अतिरिक्त विद्यालय के प्रशासन के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता आदि को सुनिश्चित करने का कार्य करेगा, आदि।

निष्कर्ष- निष्कर्ष रूप में उपरोक्त वर्णन एवं विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वह नीति है जो भारतीय ज्ञान और विचार की एक समृद्ध परम्परा को साथ लेकर चलती है। इस नीति में समानता तथा सबके लिए आसान पहुँच के साथ-ही-साथ गुणवत्ता एवं जवाबदेही आदि जैसे तत्त्वों को भी समावेशित एवं सम्मिलित किया गया है। यह नीति विद्यालयी शिक्षा को वर्तमान समय अर्थात् इक्कीसवीं शताब्दी के अनुरूप अधिक समग्र, समावेशित और लचीला बनाने पर तो बल देती ही है; लेकिन साथ-ही-साथ यह भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज तथा वैश्विक महाशक्ति के रूप में भी बदलना चाहती है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक छात्र में निहित विशेष प्रकार की क्षमताओं को बाहर निकालना अर्थात् उनका प्रगटीकरण करते हुए उसके व्यक्तित्त्व का उचित विकास करना तथा उसको एक विश्व नागरिक बनाना है जो कि अपने उत्तरदायित्त्वों एवं जिम्मेदारियों को समझ सके तथा भारत की "वसुधैव कुटुम्बकम" की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करते हुए उसे आगे बढ़ा सके। जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में विद्यालयी शिक्षा का प्रश्न है तो इस संदर्भ में यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इस शिक्षा नीति में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं; जैसे- विद्यालयी शिक्षा तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को महत्ता प्रदान करना,

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 01, 267-274
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7670

नए पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति, समावेशी शिक्षा तथा अवसरों की उपलब्धता, विद्यालय के पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं नवीनता, आकलन से संबंधित प्रक्रिया में सुधार करना, अध्यापकों के चयन, पदोन्नति एवं व्यावसायिक विकास से संबंधित प्रावधान, विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न मानकों का निर्धारण, आदि। जो इसे अपने आप में एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एवं परिस्थितियों के संदर्भ में इस नवीन अर्थात् वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समूचे भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रणाली को एक नई दिशा, गति और आधार प्रदान करने वाली एक प्रभावकारी एवं विशिष्ट शिक्षा नीति कहा जा सकता है।

संदर्भ-

1. *भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. (2020).
2. Ministry of Human Resource Development, & Government of India. (2020). National education. *Policy*.
3. https://innovateindia.mygov.in/nep2020/
4. https://www.education.gov.in/nep/about-nep
5. https://www.aicte-india.org/sites/default/files/nep2020.pdf
6. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020. Wikipedia
7. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
8. https://www.ugc.ac.in/pdfnews/5294663_Salient-Featuresofnep-Eng-merged.pdf
9. कुमारन. (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अंतर्दृष्टि एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा. *Shodh Sari-An International Multidisciplinary Journal*, *02*, *03*, 106–113. https://doi.org/10.59231/sari7594

Received on Sep 22, 2023
Accepted on Nov 26, 2023
Published on Jan 01, 2024